महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार

दारोगा राय पथ, रोड न0–02, आर० ब्लॉक०, पटना – 800001
Support.wdc@bihar.gov.in/ Contact No.- 0612-2506068/2506078

निविदा आमंत्रण सूचना

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार (समाज कल्याण विभाग, बिहार), दारोगा राय पथ, रोड न0–02, आर० ब्लॉक०, पटना – 800001 को कार्यालय के प्रयोजनार्थ मासिक आधार वाहनों तथा दैनिक आधार पर आवश्यकतानुसार भाड़े का वाणिज्यिक निबंधित वाहन (ईंधन, चालक एवं रख रखाव पर व्यय सहित) की आवश्यकता है। वाहनों की संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

वर्णित वाहनों की आपूर्ति हेतु एजेंसियों से शर्तो के अधीन दिनांक–.18/08/2022 को 3:00बजें तक निगम मुख्यालय कार्यालय में सील बंद निविदा मात्र निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। सीलबंद लिफाफे पर **'भाड़े पर वाहनों की आपूर्ति हेतु निविदा 18/8/2022'** अंकित रहना आवश्यक है। निविदा खोलने के संबंध में ससमय सभी संबंधितों को सूचित किया जायेगा। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रह सकते है।

निविदा प्रक्रिया 2 Bid System के अनुसार दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में प्राप्त किये जायेंगें जिस पर स्पष्ट रूप से क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित होगा। इन दोनों सीलबंद लिफाफें को एक बड़े लिफाफों में रखकर सीलबंद कर निर्धारित समय–सीमा के पूर्व समर्पित करना होगा। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवश्यक शर्ते

i. प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी कागजातों (यथा– वाणिज्यिक निबंधन, अद्यतन फिटनेस सर्टिफिकेट, अद्यतन बीमा प्रमाण–पत्र, अद्यतन प्रदुषण संबंधी प्रमाण पत्र, सभी कर भुगतान, परमिट आदी) एवं चालक के ड्राइविंग लाईसेंस की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति वाहन उपलब्ध कराने के पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

ii. वाणिज्यिक निबंधित वाहन 2020 अथवा उसके बाद का मॉडल होना अनिवार्य है। वाहन अच्छी स्थिति में होना अनिवार्य होगा।

iii. उपलब्ध कराये गये वाहन से संबंधित ईधन, चालक एवं रख–रखाव पर व्यय एवं संबंधित सभी कर, Penalty एवं Fines का वहन एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। भाड़े पर उपलब्ध कराये गये वाहन के दर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन एवं ड्राईवर को देय क्षतिपूर्ति का वहन एजेंसी को करना होगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास निगम जिम्मेवार नहीं होगा।

iv. उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक का मानदेय एवं दैनिक रख–रखाव, मरम्मति इत्यादि पर होने वाले व्यय का वहन एजेंसी के द्वारा किया जाना होगा तथा वाहन मालिक द्वारा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चालक को मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिये कार्यालय से भुगतान की प्रत्याशा में मानदेय लंबित नहीं होना चाहिए।

v. चयनित एजेंसी को एकरारनामा के समय एजेंसी अथवा एजेंसी के प्रोपराईटर के नाम से वाणिज्यिक रूप से निबंधित वाहनों की सूची उपलब्ध करानी होगी। यदि चयनित एजेंसी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के नाम से वाणिज्यिक रूप से निबंधित व्यक्ति/ संस्था के बीच वाहन प्राप्त किए जाने का परस्पर एकरारनामा किया गया हो तो उसकी प्रति उपलब्ध करानी होगी।

vi. वाहन **GPS System** से अनिवार्य रूप से युक्त होना चाहिये।

vii. वाहन की कार्य अवधि सामान्यतया बारह (12) घंटे अपराह्न से 8:00 बजे पूर्वाह्न होगी। परन्तु सरकारी कार्यो से आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय वाहन उपलब्ध कराने के अनुरोध का अनुपालन करना होगा। कार्यहित में पटना के बाहर निरीक्षण आदि के लिए जाने पर कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा, यदि वह मासिक निर्धारित दूरी की अधिसीमा में हो। यदि किसी माह में वाहन कम किलोमीटर चलेगी तो अगले माह में अवशेष किलोमीटर का प्रयोग कार्यालय द्वारा किया जा सकेगा।

viii. एजेंसी को अनुबंध के अनुसार मासिक आधार पर सप्ताह के सभी 07 दिनों के लिये वाहन उपलब्ध कराना होगा।

ix. एजेंसी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वाहन के क्षतिग्रस्त होने अथवा चलने के स्थिति में नहीं अथवा वाहन की चालक के अनुपस्थिति की स्थिति में अनिवार्य रूप से वाहन/चालक की वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा।

x. किसी दिन वाहन /वाहन चालक की उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उक्त दिवस का भुगतान के साथ रू0 1,000/– आर्थिक दंड के रूप में राशि की कटौति की जायेगी।

xi. अलग–अलग वाहन श्रेणियों के लिए अलग–अलग निविदादाताओं का दर न्यूनतम पाये जाने पर निगम स्तर पर गठित समिति को यह अधिकार होगा किवे किसी भी श्रेणी में न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाली एक से अधिक एजेंसियों से भाड़े पर वाहन उपलब्धता के संबंध में वार्त्ता कर सके।

xii. निविदा को संशोधित करने का तथा बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के पास सुरक्षित रहेगा।

xiii. निर्धारित किये गये शर्तो पर चयनित एजेंसी/एजेंसियों को एकरारनामा निष्पादित करना होगा। यह एकरारनामा 1 वर्ष के लिए होगा, जिसे संतोषजनक कार्य की स्थिति में आगे बढ़ाया जा सकेगा और यह विस्तार अधिकतम 3 (तीन) वर्ष तक ही किया जा सकेगा।

xiv. वाहन आपूर्ति हेतु कार्यादेश निर्गत होने के तीन दिन के अंदर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

xv. मासिक आधार पर उपलब्ध कराई गई वाहन कार्यालय परिसर में ही पार्क किया जायेगा और गैराज से आने–जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा।

xvi. दैनिक आधार पार आवश्यकतानुसार ऑन कॉल वाहन उपलब्ध कराना होगा।

xvii. शर्त्तो के अनुरूप वाहन उपलब्ध नहीं कराने वाली एजेंसी को काली सूची में डालने की प्रक्रिया तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जायगी।

xviii. प्रत्येक महिने के पहली तारीख को प्रत्येक वाहन का मीटर रीडींग शून्य कर सुनिश्चित करें कि महिने के अंत में विपत्र प्रेषण के समय मीटर रीडींग मे त्रुटि नहीं हो सके।

<u>तकनीकी निविदा</u>

i. एजेंसी/फर्म का निबंधन प्रमाण–पत्र (यथा Shops & Establishment Act/ Companies Act के अंतर्गत निबंधन संख्या) की स्व–अभिप्रमाणित।

ii. GST निबंधन संख्या एव GST निबंधन प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

iii. पिछले 3 वर्ष (2021–22, 2020–21 एवं 2019–20) के आयकर रिटर्न संबंधी प्रमाण–पत्र, साथ ही पैन कार्ड की स्वा–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

iv. एजेंसी/फर्म का विगत 03 वर्ष (2021–22, 2020–21 एवं 2019–20) का औसत **टर्नओभर न्यूनतम 25 लाख** होने संबंधी साक्ष्य।

v. काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

vi. सरकारी प्रतिष्ठापन/कार्यालय/एजेंसी में कार्य करने का **न्यूनतम 03 वर्ष का** कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र

vii. प्रबंधक निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार बिहार, पटना के नाम से रू0 50,000/– (पच्चास हजार रूपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ **Earnest Money Deposit** के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ अनुपलब्ध रहने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाऐगा। कोटेशन अस्वीकृत होने की स्थिति में उक्त **Earnest Money Deposit** की राशि वापस कर दी जाएगी। सफल कोटेशन दाता के **Earnest Money Deposit** की राशि उक्त एजेंसी से एकरारनामा के बाद उतनी ही राशि की **Performance Bank Gurantee** प्राप्त करने के पश्चात लौटायी जाएगी। **Earnest Money Deposit** की राशि की वैधता एकरारनामा तक रखनी होगी एवं इस पर किसी प्रकार का सूद देय नहीं होगा।

viii. वाणिज्यिक निबंधित वाहन उपलब्ध कराये जाने से संबंधित शपथ–पत्र।

ix. सभी समर्पित कागजात के सही होने का शपथ–पत्र मूल में समर्पित करना होगा।

<u>वित्तीय निविदा</u>

i. सिर्फ तकनीकी निविदा में सफल निविदादताओं की वित्तीय निविदा को खोला जायेगा, जिसकी सूचना अलग से दी जाएगी।

ii. वित्तीय निविदा में वर्णित राशि सभी कर को समाहित (Inclusives of all taxes) करते हुए ही दी जायेगी।

iii. वित्तीय निविदा इस निविदा आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में ही देना होगा। किसी अन्य प्रपत्र में समर्पित वित्तीय निविदा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास निगम (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना के बेवसाईट http://www.wdc.bih.nic.in/ पर उपलब्ध है।

निदेशक
महिला एवं बाल विकास निगम,
बिहार पटना।

मासिक दर पर भाड़े का वाहन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

दैनिक भाड़े के आधार पर :–

क्र. स.	श्रेणी	वहन का प्रकार	कि0मी0 आधारित	200 कि0मी0 से अधिक होने की स्थिति में	घंटा आधारित		
			न्यूनतम 200 कि0मी0	दर प्रति कि0मी0	08.00 घंटा/ 60 किमी0	12.00 घंटा/ 80 किमी0	अतिरिक्त शुल्क घटा/कि0मी0
1	क	इनोवा (क्रिस्टा) ए.सी.					
2	ख	स्कॉर्पियो ए.सी.					
3	ग	जेस्ट/स्फि्ट डिजायर/ समरूप वाहन					

मसिक भाडे के आधार

क्र. स.	श्रेणी	वहन का प्रकार	प्रतिमाह 1000 कि0मी0 तक (चालक, ईधन,अनुरक्षण एवं अन्य सभी कर सहित)	प्रतिमाह 1500 कि0मी0 तक (चालक, ईधन,अनुरक्षण एवं अन्य सभी कर सहित)	अतिरिक्त कि0मी0 का दर (चालक, ईधन,अनुरक्षण एवं अन्य सभी कर सहित)
1	क	इनोवा (क्रिस्टा) ए.सी.			
2	ख	स्कॉर्पियो ए.सी.			
3	ग	जेस्ट/स्फि्ट डिजायर/ समरूप वाहन			

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षरः–...

एजेंसी/फर्म के प्रोपराईटर अथवा

उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि का नामः–..

मासिक दर पर भाड़े का वाहन उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी निविदा का प्रपत्र

क्र.स.	संलग्न किये जाने वाले कागजात	संबंधित कागजातों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
1	2	3
1	एजेंसी / फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र (यथा Shops & Establishment Act/ Companies Act के अंतर्गत निबंधन संख्या)	
2	GST निबंधन का प्रमाण पत्र	
3	आयकर संबंधी प्रमाण पत्र, यथा–पैन कार्ड	
4	विगत 03 वित्तीय वर्षो का वार्षिक टर्नओभर न्यूनतम 25 लाख होने संबंधी प्रमाण–पत्र	
5	काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र	
6	कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्षो का कार्य अनुभव से संबंधित कागजात	
7	प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के नाम से रू0 50,000,00 (पचास हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ Earnest Momey Deposit के रूप में	
8	वणिज्यिक निबंधित वाहन उपलब्ध कराये जाने से संबंधित शपथ–पत्र	
9	सभी समर्पित कागजात के सही होने का शपथ पत्र मूल में।	

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षरः–...

एजेंसी / फर्म के प्रोपराईटर अथवा

उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि का नामः–...